रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929
No. 29] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सीए(7)/110/2008.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) का संशोधन किया गया है ;

और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्टर में अध्येता के रूप में नामों की प्रविष्टि के लिए फीस अवधारित करने हेतु सशक्त किया गया है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् एतद्द्वारा यह अवधारित करती है कि,–

1 अप्रैल, 2008 से संस्थान के अध्येता के रूप में रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट कराने के लिए किसी सदस्य द्वारा संदेय फीस की राशि केवल एक हजार पांच सौ रुपए होगी ।

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन III/4/104/2007/असा.]

टिप्पण : यह अधिसूचना, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में अध्येता के रूप में नामों की प्रविष्टि के लिए फीस अवधारित करने हेतु सशक्त करते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधन के अनुसरण में जारी की गई है । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2008

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/110/2008.—Whereas, the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) has been amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (9 of 2006);

And, whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has been empowered to determine, under sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the fee for entry of names in the Register as a fellow ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by said sub-section (3) of Section 5 of the said Act, the Council hereby determines that,—

with effect from the 1st day of April, 2008, the fee payable by a member for entry in the Register as a fellow of the Institute shall be rupees one thousand five hundred only.

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT. III/4/104/2007/Exty.]

Note : This notification is issued pursuant to amendment to Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 empowering the Council of the Institute to determine under sub-section (3) of Section 5 of the said Act the fee for entry in the Register of Members as a fellow. The consequent amendments to the relevant provisions of the Chartered Accountants Regulations, 1988 are underway.

852 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.